चमन लाल महाविद्यालय, लंढौरा (हरिद्वार)
प्रेस विज्ञप्ति

पदनाम	पदों की संख्या	आरक्षण
प्राचार्य	01	अनारक्षित

योग्यता

- पीएचडी की उपाधि के साथ विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थानों में कम से कम पंद्रह वर्षों के शिक्षण/अनुसंधान की सेवा/अनुभव के साथ कोई आचार्य/सह आचार्य।
- समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन।
- परिशिष्ठ II तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक।
- प्राचार्य की अहर्ता एवं वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 एवं राज्य सरकार के नियमानुसार होंगे।

वेतनमान : 131400–217100 (लेवल 13ए)

कार्यकाल : 05 वर्ष

आवेदक अपना आवेदन फार्म महाविद्यालय की वेबसाइट www.cldcollege.com से डाउनलोड कर उसके साथ समस्त शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की 2–2 स्वप्रमाणित छाया प्रतियां 2 रंगीन पासपोर्ट फोटो व निर्धारित आवेदन शुल्क रू. 2500 का डिमांड ड्राफ्ट अध्यक्ष/सचिव, चमन लाल महाविद्यालय, लंढौरा, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 247664 के नाम देय हो, के साथ उपर्युक्त दिये गये पते पर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकते है। महाविद्यालय में दिनांक 14.11.2022 सायं 05:00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएगे। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. प्राचार्य की अहर्ता एवं वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 एवं राज्य सरकार के नियमानुसार होंगे।

2. आवेदन फार्म के साथ 2500 का आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट अध्यक्ष/सचिव, चमन लाल महाविद्यालय, लंढौरा, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 247664 के पक्ष में आहरित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाकर मूलरूप से आवेदन फार्म के साथ प्रेषित करना होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
3. प्राचार्य की नियुक्ति की अवधि 05 वर्ष के लिए होगी।
4. आवेदक को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र हैं।
5. यदि आवेदक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनकी आवेदन फार्म रद्द कर दिया जाएगा।
6. सभी मूल प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियां एवं छायाचित्र/फोटो स्वप्रमाणित कर दो प्रतियों में आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मूल प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।
7. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अशासकीय महाविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था/विभाग के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ एवं मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को एक प्रमाण–पत्र कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला एवं अपने विभाग में कोई जांच आदि लंबित/विचाराधीन नहीं है और न ही उसे पहले ऐसे किसी मामले में दंडित किया गया है, प्रस्तुत करना होगा।
9. आपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन–पत्र तथा ऐसे आवेदन–पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद निरस्त कर दिये जायेंगे।
10. ऐसे आवेदक पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो अथवा महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो।
11. महाविद्यालय को बिना कोई कारण बताए विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/पुननिर्धारित/निलंबित/निरस्त करने का अधिकार है।
12. साक्षात्कार हेतु बुलाए गए आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. डाक या तकनीकी कारणों से आवेदन फार्म विलंब से प्राप्त होने पर महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

अध्यक्ष/सचिव
प्रबंध समिति
चमन लाल महाविद्यालय, लंढौरा